रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103]	दिल्ली, बुधवार, अगस्त 13, 2014/श्रावण 22, 1936	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 76
No. 103]	DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 13, 2014/SRAVANA 22, 1936	[N.C.T.D. No. 76

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 13 अगस्त, 2014

सं. फा. 61(758)/डी.डी.(सीपीयू)/डीडब्ल्यूसीडी/2014/6537–568.—दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सम्बन्ध में निम्नलिखित "आर्थिक संपोषण" बच्चों की शिक्षा एवं कल्याण योजना 2014 है, दिशा–निर्देश जारी करते हैं।

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**

ए. इस दिशा–निर्देश का संक्षिप्त नाम, "आर्थिक संपोषण" बच्चों की शिक्षा एवं कल्याण योजना 2014 है।

बी. ये दिशा–निर्देश सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होंगें।

सी. ये दिशा–निर्देश राजपत्र की तारीख से लागू होगा।

2. **परिभाषाएं:**

इस योजना में जब तक कि संदर्भ से अपेक्षित न हो:–

(ए) "बच्चों के सर्वोत्तम हित" दिल्ली के किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2009 के नियम 2(बी) में परिभाषित है।

(बी) "कोड" की परिभाषा या कोड आफॅ क्रिमिनल प्रकिया 1973 (2 का 1974) में है

(सी) "बच्चे" की परिभाषा, कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, जिसके एक या दोनो आय उपार्जन माता–पिता जेल में हों।

(डी) "बाल गृह" की परिभाषा किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की 2(ई) के अनुसार वर्णित है।

(ई) "बालक के अनुकूल" की परिभाषा दिल्ली के किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) नियम, 2009 की 2(डी) में परिभाषित हैं।

(एफ) "बाल कल्याण समिति" दिल्ली के किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 में 2(एफ) के अन्तर्गत संगठित समिति।

(जी) "जिला विधि सेवा प्राधिकरण" (डीएलएसए): जिला विधि सेवा प्राधिकरण की धारा 9 के अन्तर्गत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 केन्द्रीय अधिनियम (39 के 1987) के अन्तर्गत स्थापित सेवाएँ।

(एच) "दिल्ली राज्य विधि सेवा प्राधिकरण" (डीएसएलएसए): दिल्ली राज्य विधि सेवा प्राधिकरण की धारा 6 के अन्तर्गत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 केन्द्रीय अधिनियम (39 के 1987) के अन्तर्गत स्थापित सेवाएँ।

(आई) "योग्य संस्था" की परिभाषा किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 मे 2(एच) के अन्तर्गत परिभाषित है।

(जे) "योग्य व्यक्ति" बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय (बालको की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 मे 2(आई) के अन्तर्गत परिभाषित है।

(के) "निधि" का अर्थ, कल्याण निधि जो इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित है।

(एल) "संरक्षक" की परिभाषा, किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 मे 2(जे) के अन्तर्गत परिभाषित है।

(एम) "सरकार" का अर्थ है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।

(एन) "गृह अध्ययन रिपोर्ट" अर्थात एक विस्तृत रिपोर्ट जो कि परिविक्षा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी या किसी कल्याण अधिकारी या अन्य अधिकारी, जो किसी सरकारी या गैर–सरकारी संस्था द्वारा सक्षम प्राधिकारी के निर्देश पर बनाई गई है।

(ओ) "कानूनी सेवा क्लिनिक" का अर्थ जो मुफ्त कानूनी न्यायिक सुविधा तथा सलाह जो की दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकारी से संचालित है।

(पी) "आवास गृह" जो कि किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 अनुभाग 2(यू) के अन्तर्गत परिभाषित है।

(क्यू) "विशेष किशोर पुलिस इकाई" किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 अनुभाग 2(डब्ल्यू) के अन्तर्गत परिभाषित है।

(आर) कारागार कल्याण सेवाओं का अर्थ समाज कल्याण विभाग द्वारा कैदियो की सहायता के लिए चलाई जा रही सेवाओं से है।

(एस) "समिति " का तात्पर्य मुख्य परीविक्षा अधिकारी के अध्यक्षता मे अधिकारियों के समूह से है, जिसमें दिल्ली राज्य विविक सेवाएँ, सम्बंधित बाल कल्याण समिति, के प्रतिनिधि व सम्बन्धित क्षेत्र के दिल्ली बाल संरक्षण अधिकारी अन्य सदस्य होंगें।

3. **सहायता के प्रकार:**

ए. हर बच्चे को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना।

बी. आर्थिक रूप से कमजोर (ई.डब्ल्यू.एस) सूचित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा,
पोशाक, पुस्तकें आदि सरकारी सहायता प्रदान करना।

सी. बच्चे को सुरक्षित वातावरण एवं कल्याणकारी सहायता प्रदान करना तथा आदेश अनुसार बच्चे को योग्य संस्था में भेजने हेतु जहाँ पर उसको सही चिकित्सा सुविधा प्रदान हो, निःशुल्क कानूनी सहायता अपने माता पिता के सन्दर्भ में जो कारावास में रह रहे है।

4. **योग्यता:**

इस योजना के तहत निम्नलिखित आवश्यकता पूर्ति होना आवश्यक हैं:

ए. एक बच्चा/बच्चें जिनके सिर्फ एक जीवित माता–पिता या दोनों माता पिता जेल में हो, इस योजना के अधीन आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पात्र है।

बी. सामान्यतः बच्चें के माता पिता दिल्ली में रह रहे हो।

सी. उन माता–पिता के कारावास का समय जिनका बच्चा इस योजना के तहत लाभधारी है 30 दिन से कम नहीं होना चाहिए।

डी. कारावास मे रह रहे माता–पिता के सभी श्रोतों से वार्षिक आय 2,00,000 की सीमा से ऊपर नहीं होनी चाहिए तथा यह सीमा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा संशोधित की जा सकती है।

ई. इस योजना के अन्तर्गत लाभ पाने हेतु बच्चे को स्कूल में नामांकित होना आवश्यक है। यदि बच्चा स्कूल में नामंकित नहीं है तो उसके माता पिता या अभिभावक को छः महीने के अन्दर बच्चे द्वारा इस योजना के तहत नामांकित होने पर स्कूल में पंजीकृत करवाना होगा।

5. **वित्तीय सहायता की मात्राः**

वित्तीय सहायता की मात्रा प्रथम बच्चें को वित्तीय सहायता के लिए रू. 3500/– मासिक दिया जाएगा इसके अतिरिक्त दूसरे बच्चें को रू. 3,000/– यदि तीन या अधिक बच्चें एक परिवार में हो रू0 6500/की अधिकतम राशि सभी बच्चों के कल्याण में खर्च की जायेगी, जब तक वह 18 वर्ष पूरे नहीं करता है, उसके माता–पिता कारावास से लौट कर नहीं आते हैं।

तथापि यदि ऐसे बच्चे को योग्य संस्था मे रखा जाता है, वह वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

6. **शिक्षा के लिए प्रावधानः**

बाल/बालकें निम्नलिखित सुविधाओं के लिए हकदार होगें:

ए. नजदीकी के सरकारी/सहायता प्राप्त स्कूल, में प्रवेश तथा स्कूल में दिए जा रहे अन्य लाभ।

बी. ट्यूशन फीस की पूरी छूट या अन्य फीस जो कि प्राईवेट स्कूल द्वारा निर्धारित है,

यदि बच्चा पहले से उस स्कूल में पढ़ रहा है।

7. **सुरक्षात्मक एवं कल्याणकारीः**

किसी भी बच्चे की सुरक्षा उसके परिवार समुदाय एवं सरकार की सांझा जिम्मेदारी है।

तथापि, इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित सुविधाएँ बच्चों के लिए सुनिश्चित है:–

1. बच्चे को एक सुरक्षित और आराम दायक स्थान प्राप्त हो प्राथमिकता उस घर को दी जायेगी जहॉ पर बच्चा अपने माता पिता के साथ रह रहा था। यदि सुरक्षा से जुड़े मामलों को चिंताजनक पाया जाता है, या अपने निवास स्थान में वह अकेला पाया जाता है तो बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार उसे अपने अन्य रिश्तेदार/अभिभावक के घर भेजा जाए। अन्तिम प्रयास के तहत बच्चें को आदेशानुसार किसी सही संस्था में भेजा जाएगा।

2. मानसिक और मनोवैज्ञानिक शक्ति अपने परिवार संबंधियों से उपलब्ध अच्छे तरीके से होती है। परिजनों और परिवार के अन्य सदस्यों को सेवाएं उपलब्ध करायी जाएगी जिससे की यह सुनिश्चित किया जाएगा की बच्चा किसी भी तरीके के मानसिक तनाव का शिकार ना हों, उस दौरान जब उसके माता–पिता कारावास में हो।

1. बाल कल्याण समिति को योग्य व्यक्ति अथवा योग्य संस्था द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा की बच्चे को उचित शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य एवं देखभाल मिलें तथा उसे सही आवश्यक टीकाकरण एवं पोषक गुणों से युक्त भोजन प्राप्त हो।

2. बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए बाल कल्याण समिति यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों को एक सुरक्षा कवच प्रदान किया जाए।

5 बाल कल्याण समिति सीधे जिला बाल संरक्षण विभाग के अधिकारी और संबधित एजेंसियों को इस प्रकार आदेश दे सकता है, जिससे बच्चों का सम्पूर्ण हित सुनिश्चित हो सके।

6. बाल कल्याण समिति आर्थिक के लिए मामला कारागार सेवाओं के मुख्य परिविक्षा, अधिकारी के सुपुर्द करेगा।

8. **कल्याण निधिः**

दिल्ली सरकार द्वारा धनराशि सुरक्षित की जाएगी जो कि इन बच्चों को समिति के आदेशानुसार आर्थिक सहायता देने हेतू प्रयोग की जाएगीः

ए. यह राशि सरकार द्वारा बजटीय आवंटन के रूप उपलब्ध करायी जाएगी।

बी. कॉपेरिट सामाजिक उत्तर दायित्व(सीएसआर)/राष्ट्रीय/मानवप्रेमी/

धर्मार्थ संस्थाओं/संगठनों और व्यक्तियों के द्वारा योगदान।

यह परिविक्षा अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा संचालित की जाएगी।

9. सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने की प्रकिया:

इस योजना के अन्तर्गत, आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में जेल में चल रहे, कारागार सेवाओं के कार्यालय में, राज्य विविक सेवाओं के क्लिनिक या अन्य स्थानों पर चल रहे राज्य विधिक सेवाओं के क्लिनिक में दिये जा सकते हैं, आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न होगें।

ए. विधि न्यायलय के आदेश के द्वारा रिमांड पारित।

बी. सामान्य रूप से बच्चे को दिल्ली में कम से कम पॉच वर्ष से रहने का प्रमाण निवास, प्रमाण के लिये परिवार के किसी व्यक्ति को निम्नलिखित कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें। पहचान पत्र/राशन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेंस/जन्म प्रमाणपत्र/एलआईसी पॉलिसी/टीकाकरण कार्ड/बिजली का बिल/पानी का बिल/टेलीफोन का बिल/गैस कनेक्शन/बैंक की पासबुक/जाति प्रमाणपत्र जा`कि दिल्ली का हो/विद्यार्थी पहचान पत्र/जमीनी कागजात/सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था द्वारा जारी पहचान पत्र।

सी. बच्चे से सम्बंधित बैंक अकाऊंट तथा उसका विवरण जो की एक योग्य व्यक्ति द्वारा संचालित होगा, जो की इलैक्ट्रोनिक क्लियरनेंस सिस्टम (ई.सी.एस) द्वारा संचालित हैं।

डी. माता–पिता/अभिभावक को योग्य व्यक्ति से शपथ पत्र लेना होगा की वह केवल बच्चे के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता लेगें।

ई. कारागार कल्याण से बच्चों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर प्राप्त आवेदन, यहॉ शीघ्र अति शीघ्र अग्रसरित किये जायेगें, जहॉ कैदी/बंदी से सम्बन्धित सूचनाएं एकत्रित किए जायेंगें।

10. आवेदन पर कारवाई के लिए प्रकिया:

1. जैसे ही बंदी द्वारा या राज्य विविक सेवाओं या न्यायालय में योग्य व्यक्ति द्वारा आवेदन प्राप्त होता है, कारागार कल्याण अधिकारी निर्धारित प्रपत्र में बंदी के बारे में सूचना एकत्रित कर बंदी के निवास क्षेत्र के बाल कल्याण समिति के सम्बन्ध में आवेदन प्राप्ति के दो दिनों के अन्दर प्रस्तुत करेगा, बाल कल्याण समिति गृह द्वारा संरक्षण अधिकारी (संस्थागत/गैर संस्थागत देखरेख) परिविक्षा अधिकारी या विधि सह बाल संरक्षण अधिकारी या कल्याण अधिकारी से गृह अध्ययन रिपोर्ट मंगायेगा।
2. आवेदन पत्र जमा करने के तीन दिन के भीतर बच्चे का गृह अध्ययन हेतू आदेश किया जाएगा, गृह अध्ययन की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को आदेश देने के एक सप्ताह बाद में प्रस्तुत की जाएगी।
3. बाल कल्याण समिति द्वारा आवेदन का निपटारा प्राप्ति के 15 दिन के भीतर किया जाएगा।
4. बच्चे के संस्थागत या गैर संस्थागत देख भाल के लिए बाल कल्याण समिति उचित कार्य देगा परन्तु यदि बच्चे को आर्थिक सहायता की जरूरत होने पर बाल कल्याण समिति मामले को मुख्य परिविक्षा अधिकारी को भेजेगा, मुख्य परिविक्षा के अध्यक्षता में गठित समिति बच्चों के हित के लिए बच्चें को या योग्य व्यक्ति को वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में निर्णय लेगें।

11. आदेश का अनुपालन व सहायता वितरण की विधि:

1. कारागार कल्याण अधिकारी लाभाविन्त कैदियों की सूची मुख्य परिविक्षा अधिकारी को देगा, इसका माध्यम समिति द्वारा निर्धारित राशि मुख्य परिविक्षा अधिकारी द्वारा यह राशि हर महीने के अन्त तक बच्चे के बैंक खाते मे जमा किया जाएगा। जो की बच्चे से सम्बन्धित नामित योग्य व्यक्ति के द्वारा संचालित होगा।
2. अन्य निर्देशों जैसे शिक्षा व कल्याण के इत्यादि का अनुपालन, जिला बाल संरक्षण के अधीन तथा जिला बाल संरक्षण अधिकारी की देख–रेख में होगा इसलिए तिमाही रिपोर्ट बाल कल्याण समिति मुख्य परिविक्षा अधिकारी, को प्रस्तुत करेगा।

12. स्थितियॉ जिनमें सहायता का आदेश बच्चों के लिए रदद् किया जा सकता है:

ए. वित्तीय सहायता देय होगी जब तक आय उर्पाजन माता–पिता जेल मे होगें तथा उसके बाद समाप्त कर दी जाएगी।

बी. अगर बच्चों के लिए जारी की गई वित्तीय सहायता की राशि का दुरूपयोग किया जा रहा है।

सी. जिला बाल संरक्षण अधिकारी या मुख्य परिविक्षा अधिकारी को बिना सूचित किये यदि लाभार्थी बच्चे को स्थानतंरित या किसी अन्य स्थान पर पूर्ण सूचना दिये बिना स्कूल/शिक्षा विभाग बदल दिये जाते हैं।

डी. यदि लाभार्थी बच्चा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है।

ई. यदि लाभार्थी बच्चों से सम्बंधित यह जानकारी प्राप्त होती है कि वह वे वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए भी अन्य मासिक भुगतान योजना या राज्य केन्द्र सरकार के अन्तर्गत चल रहे प्रत्याभूति कार्यकम में नामांकित हैं।

एफ. यदि बच्चा/बच्चें किसी अपराधिक कार्य में लिप्त पाये जाते है।

13. निगरानी और समीक्षा बच्चें की प्रगति पर नजर रखने:

इस योजना के तहत नियुक्त कल्याण/अधिकारी संरक्षण आधिकारी, या इस सम्बन्ध में नियुक्त अन्य अधिकारी, प्रत्येक बच्चें जो कि इस योजना के तहत लाभनीय है, के मामले के लिए अलग–अलग फाईल रखेंगें। इस फाईल में बच्चें के स्वास्थ्य और शिक्षा सम्बन्धी जानकारी पूर्ण रूप से की जाएगी तथा उसके पारिवारिक वातावरण एवं शिक्षा में हो रहे सुधार के बारे में पूरी जानकारी लिखी जाएगी।

14. गोपनीयता और अभिलेखों के परिरखण:

सक्षम प्राधिकारी और अन्य सभी संबंधित डीएसएलएसए/डीएलएसएएस के अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, को गोपनीयता बनाए रखनी होगी और उनको यह सुनिश्चित करना होगा की कोई भी अभिलेख दस्तावेज अथवा सूचना किसी भी व्यक्ति के साथ उद्घाटित नहीं की जायेगी। सिवाय निचली अदालत/अपीलीय अदालत/डीएसएलएसए/डीएलएसएएस/बाल कल्याण समिति या मुख्य परिविक्षा के आदेश से और वह भी लिखित आदेश दिये जाने पर।

इस योजना के तहत समस्त विवरण लाभार्थी की उम्र परिपक्वता होने के दो वर्ष तक रखी जायेगी, या उसके माता पिता कारावास से रिहा नहीं हो जाते, या इस योजना के अन्तर्गत लाभ का बन्द हो जाने पर, इसमें जो भी पहले हो। इसके बाद रिपोर्ट की हार्ड कॉपी को (बाल कल्याण समिति/मुख्य परिविक्षा अधिकारी) द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। परन्तु सॉफ्ट कॉपी को सुरक्षित रखा जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से और उनके नाम पर,

सौम्या गुप्ता, निदेशक

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 13th August, 2014

No. F. 61 (758)/DD (CPU)/DWCD/2014/6537-568.—The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the Guidelines for Government of NCT of Delhi for the "Scheme for Financial Sustenance, Education & Welfare of Children of incarcerated Parents, 2014" as following, namely:—

1. Short title and commencement: - (a) This scheme may be called the "Scheme for Financial Sustenance, Education and Welfare of Children of incarcerated Parents, 2014".

(b) It shall extend to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
(c) It shall come into force on the date of its publication in the Delhi gazette.

2. Definitions- In this Scheme, unless the context otherwise requires:-

(a) **"best interest of the child"** means the same as defined in rules 2(c) of the Delhi Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2009'.
(b) **"code"** means the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);
(c) **"child"** means any person below the age of 18 years whose only surviving parent or both parents is/are in jail.
(d) **"children's home"** means the same as defined in section 2(e) of The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000;
(e) **"child friendly"** means the same as defined in rule 2(d) of The Delhi Juvenile Justice (Care & Protection of children) Rules, 2009;
(f) **"child welfare committee"** means committee constituted under Section 29 and 2(f) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000;
(g) **"District Legal Services Authority"** (DLSA) means the District Legal Services Authority constituted under section 9 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act 39 of 1987); for a district of the State of Delhi;
(h) **"Delhi State Legal Services Authority"** (DSLSA) means Delhi State Legal Services Authority constituted under section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987); for the State of Delhi.
(i) **"fit institution"** means the same as defined in section 2(h) of The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000;

3189 DG/14-2

(j) **"fit person"** means the same as defined in section. 2(i) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000;

(k) **"fund"** means the welfare fund constituted under this Scheme.

(l) **"guardian"** means the same as defined in section 2(j) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000;

(m) **"government"** means the Government of National Capital Territory of Delhi;

(n) **"home study report"** means a detailed report prepared and submitted by a Probation Officer, Protection Officer, Welfare Officer or any other official of government or non-government organizations who is assigned by competent authority to prepare the same;

(o) **"Legal Services Clinic"** means a Clinic run by Delhi State Legal Services Authority for providing free legal aid and advice;

(p) **"Shelter Home"** means the same as defined in section 2(u) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000;

(q) **"Special Juvenile Police Unit"** means the same as defined in section 2(w) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000;

(r) **"Prison Welfare Services"** means a Service run by the Department of Social Welfare, Government of National Capital Territory of Delhi in prisons.

(s) **"Committee"** means a group of officers comprised of Chief Probation Officer as Chairman and a member of Child Welfare Committee, member of Delhi State Legal Services and District Child Protection Officer of concerned area as members.

3. **Types of assistance-**

(a) Financial assistance in the form of monthly payment for each child.

(b). Provision for free education, uniform, books/copies etc. in Government/Aided/Private (if enrolled as EWS) Schools by treating them as Economically Weaker Section (EWS) Child in Delhi.

(c). Provision for protective environment and welfare measures for the child including passing of order for sending a child to a fit institution and order for providing medical treatment, and provision of free legal aid for interaction with incarcerated parents.

4. **Eligibility**- In order to be eligible under this scheme, following requirements are to be met:

(A) Child/Children whose only surviving parent or both parents is/are in jail shall be eligible for financial assistance under this scheme.

(B) The parents of child shall be ordinarily living in Delhi for the last 5 years.

(C) Period of incarceration of parent, whose child is intended to avail the benefit under the Scheme, should not be less than 30 days.

(D)The Annual income from all sources of the incarcerated parent(s) should not exceed Rs.2, 00,000/- (Rupees Two Lakh only) or limited to the amount as amended from time to time by the Government of National Capital Territory of Delhi.

(E)The child between ages 5-18 years shall mandatorily attend the School/academic institutions to claim the benefit under this Scheme. Parent/Guardian will give undertaking for initiation of schooling within six months of receipt of benefit, if child is not yet enrolled with any School.

5. **Quantum of Financial Assistance**-The quantum of Financial Assistance to a child shall be fixed as Rs. 3,500/- for the first child, additional Rs. 3,000/- for the second child (in case of 3 or more children, this maximum amount of Rs. 6,500/- shall be utilized for welfare of all children) till he/she attains the age of 18 years or parent(s) is/are released from incarceration whichever is earlier.

However, in case a child is placed with a fit institution, then such child will not be entitled to receive additional financial assistance.

6. **Provision for Education**- Child/Children shall be entitled to the following assistance as far as educational needs are concerned-

(A) Admission in a nearest government/Aided School in appropriate standard with all entitlements under the other Schemes.

(B) Full waiver of tuition fees or any other such charge by the school authority, in Private School, if already enrolled.

7. Other protection and welfare measures.—The responsibility for child protection is primarily a shared responsibility of family, community and Government. However, under this Scheme, the following shall be ensured for eligible Children:

(1) The child shall have a safe and comfortable place of abode. First preference shall be given to a house where the child was ordinarily residing with his parent. In case of any safety concern or if the child is found to have been left alone, he can be shifted to some other residence of his relative/guardian or any fit person under orders of Child Welfare Committee. Child can be ordered to be shifted to fit Institution only as a last resort.

(2) The emotional and psychological strength can be best provided by his family/relatives. Provision shall be made for counseling of such relatives and family members to ensure that the child does not suffer any kind of neglect or depression owing to incarceration of parent.

(3) The Child Welfare Committee (CWC) of the concerned area shall ensure through fit Person/fit Institution that the child receives proper medical, psychological attention and care including requisite immunization and dietary nutritional needs.

(4) The Child Welfare Committee will order for ensuring building of a protective safety net for such vulnerable Children keeping the best interest of the child in mind in a child friendly manner.

(5) The Child Welfare Committee shall direct the District Child Protection Officers and the agencies concerned to ensure the overall well-being and safety of the child.

(6) The Child Welfare Committee will refer the matter to Chief Probation Officer heading the Prison Welfare Services for financial assistance to the child.

8. Welfare Fund.—There shall be a fund maintained by the Government which shall be used for disbursement of financial assistance as and when ordered by the Child Welfare Committee. The fund shall be allotted through budgetary allocation by Government of National Capital Territory of Delhi as given-

(a) Budgetary allocation by the Govt. of National Capital Territory of Delhi in the Scheme of Assistance to Incarcerated or Released Prisoners or a new budgetary head to be created by Government of National Capital Territory of Delhi.

(b) Contributions from Corporate Social Responsibility (CSR)/National/Philanthropist/Charitable Institutions/Organizations and individuals.

This fund shall be operated by Chief Probation Officer, Department of Social Welfare, Government of National Capital Territory of Delhi.

9. Procedure for making application before Competent Authority.— An application for awarding assistance under this scheme can be filed in the prescribed form before the office of the prison welfare services being run in jails under the control of the Chief Probation Officer, the Legal Services Clinics being run by Delhi State Legal Service Authority (DSLSA) at jails and other places in Delhi or before a Court of Law where the trial of the incarcerated person is going on by the child or his parent/parents or his Guardian/fit Person along with supporting documents in duplicate. The application shall be accompanied by the followings:

(a) Copy of remand/conviction order passed by the Court of law.

(b) Proof of residence/affidavit indicating that the child and parents have been residing in Delhi for the last five years. Any of the following documents related to family members can be relied upon-

Voter ID Card/Ration Card/Passport/DL/Birth Certificate/LIC Policy/Immunization Card/Electricity Bill/Water Bill/Telephone Bill/Gas Connection/Bank or Post Office Passbook/Caste Certificate issued in Delhi/Student ID Card/Property Document/i Card issued by Public or Private sector company.

(c) Details of the Bank account in the name of the Child to be operated by fit Person with requisite Bank documents Electronic Clearance System (ECS).

(d) Undertaking by the parent/guardian/fit person that he/she will use the financial assistance solely for welfare of the child.

The application received other places than the office of the prison welfare services will be sent immediately to the office of the prison welfare services for collecting information from the incarcerated person.

10. Procedure for processing the application.— (1) As and when the application is submitted by the person under incarceration or received through the District Legal Service Authority (DLSA) or Delhi State Legal Service Authority (DSLSA) or the court of law or child or his/her guardian/fit person, the Prison Welfare Officer will immediately gather information from the person in the prescribed format and submit it to Child Welfare Committee of the area where the family of such person resides within the two days of receipt of the application. A Home Study Report shall be called by the Child Welfare Committee through the Protection Officer (Institutional/Non-Institutional Care) or Legal-cum-Probation Officer in District Child Protection Unit or Welfare Officer/Social Worker engaged in a Government run Child Care Institution.

(2) An order calling for Home Study Report shall be passed within three working days of receipt of application. The report shall reach the CWC within a week of receipt of the order.

(3) An application shall preferably be disposed of by the Child Welfare Committee within 15 days of its filling.

(4) Wherever the rehabilitation of child is essential, in terms of institutional or non-institutional care, the Child Welfare Committee will issue an appropriate order. However, if the child is in need of financial support, the Child Welfare Committee may refer the matter to Chief Probation Officer.

The committee headed by the Chief Probation Officer will consider the case and take a decision for extending financial help to the child or fit Person in the best interest of the child.

11. **Method of disbursement of assistance and compliance of order.**—(1) The Prison Welfare officer will prepare a list of the beneficiary prisoners and forward the list to the Chief Probation Officer.

(2) The amount of financial assistance as decided by the Committee will be disbursed by the Office of the Chief Probation Officer by way of Electronic Clearance System on monthly basis, within the succeeding month in a bank account opened in the name of each child that shall be operated by the fit Person nominated qua the Child.

(3) Compliance of other directions qua education and welfare shall be carried out by Delhi Child Protection Unit under direct supervision of District Child Protection Officer. Quarterly reports thereof shall be furnished to the Child Welfare Committee/Chief Probation Officer.

12. **Conditions in which the Assistance to the Children may be revoked**

(A) If the incarcerated parent is released from the jail.

(B) If the amount of Financial Assistance released for the Children is in fact found being misused.

(C) If the recipient family changes the place of residence or the beneficiary Children are shifted to any other place or schooling is changed without prior information of the District Child Protection Unit or Chief Probation Officer.

(D) If the beneficiary child attains the age of 18 years.

(E) If the beneficiary Child is reported to have availed financial assistance or benefit under any other Monthly Payment Scheme or Sponsorship Programme of State/Central Government for the purpose applied hereto.

(F) If the Child/Children is/are reported to be engaged in criminal activities.

13. **Monitoring and review: Tracking Progress of the Child-**

Protection Officer/Legal-cum- Probation Officer/Welfare Officer or any other Officer so appointed or designated for the purpose shall maintain an individual case file for each child provided benefit under the Scheme. He shall note the general well being of the child including his/her health general family environment and progress made in the education as may be applicable.

14. **Confidentiality and Preservation of records-**

a. The Child Welfare Committee and all other concerned officials of Delhi State Legal Services Authority/District Legal Services Authority/Department of Women and Child Development, Government of National Capital Territory of Delhi shall maintain full confidentiality and shall ensure that under no circumstances, any record, document or information qua the proceedings under this Scheme shall be shared with any person in any manner except with permission of the Trial Court/Appellate Court/Delhi State Legal Services Authority/District Legal Services Authority/Child Welfare Committee/Chief Probation Officer and that too on a written order.

b. All records pertaining to proceedings under this scheme shall be preserved for two years after the beneficiary attains the age of maturity or his/her incarcerated parent is released or revocation of benefit under this Scheme, whichever is earlier. Thereafter, the hard copy of the records can be weeded out by the Child Welfare Committee/Chief Probation Officer/District Child Protection Officer after preserving the scanned soft copies of the same.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi.
SAUMYA GUPTA, Director

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 13 अगस्त, 2014

सं.फा. एए/टीसी/2014/प्रा.समि./3008/6632–37.—मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 2014 के नियम 12 के साथ पठित मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42) की धारा 9 की उपधारा (4) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 04 फरवरी, 1995, का.आ. 82(अ), जहां तक यह सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली से संबंधित है, के अनुसार भारत के राजपत्र भाग–II, खंड–3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के अधिक्रमण करते हुए इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली के लिये प्राधिकार समिति को पुनगर्ठित करते हैं, अर्थात् :—

1	डॉ. सुचिता कटोच चिकित्सा अधीक्षक सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2	डॉ. सुनील कुमार जैन वरिष्ठ परामर्शदाता औषधि विभाग सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली	सदस्य
3	डॉ. एच. एन. अग्रवाल वरिष्ठ परामर्शदाता विभागाध्यक्ष तंत्रिका शल्य चिकित्सा सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली	सदस्य
4	डॉ. बी. के. मैनी सेवानिवृत्त प्राध्यापक/प्रोफेसर, शरीर विज्ञान मेडिकल कॉलेज, रोहतक	सदस्य
5	श्री बी.एल. आनन्द निवर्तमान सदस्य/जुरोर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत राज्य आयोग	सदस्य
6	सचिव (स्वास्थ्य) दिल्ली सरकार या उसका नामिती	सदस्य
7	निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली सरकार या उसका नामिती	सदस्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
सुषमा सिंह, उप–सचिव

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 13th August, 2014

F.No AA/TC/2014/Auth.Comm./3008/6632-37.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (4) of Section 9 of the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (42 of 1994) read with rule 12 of the Transplantation of Human Organs and Tissues Rules, 2014 and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S.O.82 (E), dated the 4th February, 1995 insofar as it relates to Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby reconstitutes the authorization committee for **Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi,** namely:-

1. Dr. Suchita Katoch, - Chairperson
   Medical Superintendent
   Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi

2. Dr. Sunil Kumar Jain, - Member
   Senior Consultant
   Department of Medicine
   Sir Ganga Rama Hospital, New Delhi

3. Dr. H.N. Agarwal - Member
Senior Consultant, Head of
Department of Neuro-Surgery,
Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi

4. Dr. B. K. Maini - Member
Retired Professor of Physiology,
Medical College, Rohtak

5. Mr. B. L. Anand - Member
Ex-Member/Juror, State Commission
Under Consumer Protection Act, 1986

6. Secretary (Health), - Member
Government of National Capital
Territory of Delhi or his nominee

7. Director Health Services, - Member
Government of National Capital
Territory of Delhi or his nominee

By Order and in the Name of
Lt. Governor of National Capital
Territory of Delhi,

SUSHMA SINGH, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054